

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 172/2024

प्रेम सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, राजस्थान जोधपुर।
3. देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, हाल वर्तमान कार्यरत निदेशालय प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण), जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2024

आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर में कार्यरत है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा उसका स्थानान्तरण वर्तमान कार्यरत स्थान से आईटीआई, शेरगढ़ में किया गया है। उनका तर्क है कि मात्र निजी प्रत्यर्थी को समंजित (Accommodate) करने कि नियत से स्थानान्तरण किया गया है। यह भी तर्क है कि अपीलार्थी माह अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त होने वाला है जिसके लिये मात्र 2 वर्ष 6 माह ही शेष रहे हैं, तदनुसार भी अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण अनुचित एवं अव्यवहारिक होकर निरस्तनीय योग्य है। अतः

अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को निरस्त किया जाये।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)